91
13-02

COURT FEE 5 Rs. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

COURT FEE 5 Rs. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

2 रु. भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

1 रु. भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक	प्रतिलिपि तैयार होने का दिनांक	प्रतिलिपि जारी करने का दिनांक	प्रतिलिपि जारी करने के हस्ताक्षर
3-12-13	3-12-13	3-12-13	3-12-13

प्रतिलिपि आदेश दिनांक 14-3-12 पारित द्वारा न्यायालय श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय भीटी वाद संख्या 2 अन्तर्गत धारा 14[illegible] जेड० ए० एक्ट वर्धमान दुलारी महिला महाविद्यालय पिलाई प्रबन्धक अयोध्याप्रसाद पाण्डेय बनाम ग्राम पंचायत मौजा पिलाई तहसील भीटी जनपद अम्बेडकरनगर।

नोट - कॉलमों के साथ दाखिल प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है।

न्यायालय उपजिलाधिकरी भीटी जनपद अम्बेडकरनगर

दुलारी महिला महाविद्यालय पिलाई
प्रबंधक अद्या प्रसाद पाण्डेय .... बनाम........................ ग्राम पंचायत

मु0नं0...2....अन्तर्गत धारा 143जेड0ए0 ऐक
मौजा पिलाई
परगना अकबरपुर, तहसील भीटी
जिला अम्बेडकरनगर

निर्णय

प्रस्तुत वाद अद्या प्रसाद पाण्डेय पुत्र स्व0 कल्लू निवासी पिलाई प्रबंधक दुलारी महि महाविद्यालय पिलाई के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 143जेड0ए0 ऐक्ट पर प्र तहसीलदार भीटी की आख्या दिनांक 24.01.2012 पर दर्ज मिसिलबंद हुआ नियमानुसार सम्म जारी किया गया जो वाद तामिला संलग्न पत्रावली है ग्राम पंचायत द्वारा कोई आपत्ति प्रस्त नही की गयी है वाद निर्विवाद है। तहसीलदार भीटी की आख्या दिनांक 24.01.2012 से स्प है कि ग्राटा सं0 9 रकबा 0.256हे0 पर कोई निर्माण नहीं है कृषि कार्य किया जा रहा है गाटा सं. 78 रकबा 0.468हे0 में 28296 वर्ग फिट पर चहर दिवारी के अन्दर 6820 वर्ग फिट विद्यालय भवन बना है शेष भूमि खेल के मैदान के रुप में की जा रही है गाटा सं0 रकबा0.368 हे0 दुलारी महिला महाविद्यालय पिलाई विद्यालय के नाम दर्ज है । गाटा सं0 रकबा 0.368 हे0 का लगान 13रु0 34 पैसा होता है।

मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों का गहन अध्ययन किया गया, जिस मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हू कि गाटा सं0 78 रकबा0.368 हे0 पर कृषि कार्य नहीं किया रहा है। गाटा सं0 78 रकबा0.368 हे0 अकृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक बांधा न है।

आदेश

अतः आदेश हुआ कि ग्राम पिलाई परगना अकबरपुर तहसील भीटी जिला अम्बेडकरन के खतौनी वर्ष 1416–1421फ0 पर अंकित खाता सं0 3 के गाटा सं0 78 रकबा0.368 मू0राजस्व मु0 13.34 रु0 कृषि कार्य से इतर यानी अकृषिक घोषित किया जाता है तद्नुस परवाना अमलदरामद जारी हो आदेश की प्रमाणित प्रति उपनिबंधक भीटी को अनुपालनार्थ भे जाय । वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

ह0 14/3/12
(विजय बहादुर)
उपजिलाधिकारी भीटी

आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित , दिनांकित , उद्घोषित किया गया।

ह0 14/3/12
(विजय बहादुर)
उपजिलाधिकारी भीटी

प्रतिलिपि प्रमाणित — ह0 3/12/13
शब्दसंख्या — 100
सवाल नं0 — 21

S.D.O./S.D.M. (S) सत्य प्रतिलिपि ह0 3/12/13